पत्रांक 15/वी 1–02/2014– 1359
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार।
(बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय को छोड़कर)

पटना, दिनांक 16/7/2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन में सरकार द्वारा विहित किये गये प्रमाण पत्र में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल में अन्तर पाया जा रहा है एवं कतिपय कर्मी के नाम में भी अन्तर पाया जा रहा है।

2. अंकनीय है कि राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गए वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार/परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय वेतनमान में वेतनादि का प्रावधान बजट में नहीं किया जा रहा है। " परन्तु वर्णित तथ्यों का उल्लेख विभागीय पत्रों में रहने के बावजूद शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मूल वेतन को निर्धारित वेतनमान के उच्चतम प्रक्रम से भी अधिक अंकित करते हुए राशि की मांग किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

3. विभागीय संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 की कंडिका 30 (iv) के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में वित्त विभाग के पत्रांक 8826 तथा पत्रांक 8825 दिनांक 20.12.2000 के अनुरूप 20.12.2000 के प्रभाव से कर्मियों को पृथक्कीकरण के अनुरूप पदों पर अनुमान्य वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमान्य किया गया है तथा उक्त तिथि के पश्चात् पृथक्कीकरण के अनुरूप निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। परन्तु इस आय–व्ययक में उक्त तिथि के बाद नियुक्त कर्मियों को भी उच्चत्तर वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का लाभ दिया गया है, जो पटना विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 46(2) मे निहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

4. राज्य सेवी वर्ग के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में सीधी प्रोन्नति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित कतिपय महाविद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के पदों पर प्रोन्नति दी गयी है, जो विभागीय पत्रांक 344 दिनांक 18.06.1990 में अंकित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

5. ऊपर की कंडिकाओं में अंकित तथ्यों के आलोक में आपके विश्वविद्यालय के बजट को पारित किया जाना तथा उसके अनुरूप राशि स्वीकृत किया जाना लेखा संधारण एवं स्थापित वित्तीय प्रबंधन के मापदण्डों के अनुसार विधि सम्मत प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः वर्णित विसंगतियों को निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना राज्य एवं विश्वविद्यालय हित में अनिवार्य प्रतीत हो रहा है।

6. वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि बजट प्राक्कलन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने हतु विश्वविद्यालयवार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निम्नवत् बैठक का आयोजन किया जा रहा है :–

क्र0	विश्वविद्यालय का नाम	बैठक की तिथि	बैठक का समय
01	पटना विश्वविद्यालय, पटना।	17.07.2014	11.00 बजे पूर्वाहन्
02	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।	17.07.2014	04.00 बजे अपराहन्
03	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	18.07.2014	11.00 बजे पूर्वाहन्
04	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।	18.07.2014	04.00 बजे अपराहन्
05	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।	21.07.2014	11.00 बजे पूर्वाहन्
06	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	21.07.2014	04.00 बजे अपराहन्
07	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।	22.07.2014	11.00 बजे पूर्वाहन्
08	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।	22.07.2014	04.00 बजे अपराहन्

वर्णित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, बजट पदाधिकारी, उप कुलसचिव, एवं प्रशाखा पदाधिकारी संबंधित अभिलेख के साथ बैठक में भाग लेने का कष्ट करें, ताकि बजट पर विचार करते हुए आपके विश्वविद्यालय के बजट को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 48 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 49 के अधीन अनुमोदित किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव

16/7/14